न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1976/2004/झुंझुनू

1- बनवारीलाल)
2- बीरबल)
3- प्रहलाद)
4- श्रवणी बेवा स्व0 भूराराम
5- ग्यारसीलाल पुत्र स्व0 भूराराम
समस्तजाति माली निवासी ग्राम गुढा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1- मालीराम पुत्र महादेवाराम जाति माली निवासी ढाणी आका वाली ग्राम गुढा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2- बनवारीलाल पुत्र महादेवाराम
3- श्रीमति मगनकंवर बेवा भंवरसिंह
4- नत्थूसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह
5- भादरसिंह पुत्र जवाहरसिंह
6- मल्लूसिंह पुत्र जवाहरसिंह
7- छोटूसिंह पुत्र नारायणसिंह
समस्त जात राजपूत निवासी ग्राम खोह तन गुढा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थितः-

श्री आर0के0गुप्ता, अधिवक्ता अपीलार्थी।

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

--

निर्णय

दिनांकः 16-02-2021

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा अपील सं0 52/2003 मे पारित किए गए निर्णय दिनांक 16-04-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के न्यायालयमें एक वाद इस्तकरारहक व हुक्मइम्तनाई दवामी का विवादित आराजी बाबत् पेश कर कथन किया ग्राम गुढा में भूमि खसरा नं0 860 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 861 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 856/1321 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 856/1320रकबा 2 बीघा, 865/1322 रकबा 19 बिस्वाक कुल किता 5 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा वाकै ग्राम गुढा में अवस्थित है, जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है। इन भूमियों की सिंचाई खसरा नं0 864 हाल खसरा नं0 1020 रकबा 0.05 है0 चाह से होती है। इसका इंद्राज मिसल हकीयत से चला आ रहा है। प्रतिवादीगण सं0 1 से 7 को इससे कोई संबंध सरोकार नहीं है व न ही उनकी भूमियॉं इस चाह से सिंचित है। इस चाह के चारों तरफ वादीगण की भूमि है इस पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आने के पूर्वसे काबिज काश्त चले आ रहे है एवं इसका उपयोग उपभोग भी कर रहे है। अतः वाद वादी स्वीकार कर वादीगण को खसरानं0 864 हाल खसरा नं01020 रकबा 0.05 है0 चाह का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश किया। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी ने अपने निर्णय दिनांक 21-02-2003 द्वारा वादीगण का वाद डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के न्यायालय में पेश किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16-04-2004 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21-02-2003 को निरस्त किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3- हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4- योग्य अधिवकता अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ग्राम गुढा की भूमि खसरा नं0 807 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 861 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 856/1321 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 856/1320 रकबा 2 बीघा एवं 865/1322 रकबा 19 बिस्वा कुल 11 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता वाकै ग्राम गुढा में स्थित है, जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा लगान राज्य सरकार को अदा करते आ रहे है। उक्त भूमि के बीच में

एक चाह स्थित है, जिसका खसरा नं0 864 हाल खसरानं0 1020 रकबा 0.05 है0 है उक्त चाह खसरा नं0 864 से वादीगण अपनी उपरोक्त भूमिकी बापाती पीढ़ियों से एवं बुजुर्गो के समय से करते आ रहे है, जिसका इन्द्राज जरिये आबपासी कागजात मिसल हकीयत सं0 2012 व रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादीगण सं0 1 से 7 का उक्त चाह से कोई संबंध नही है व न ही कभी रहा एवं इन्होंने आज तक इस कुँए से अपनी किसी भी भूमि को सिचिंत नहीं किया, क्योंकि प्रत्यर्थीगण की भूमि इस चाह से काफी दूर है तथा इस चाह के चारों ओर वादीगण की खातेदारी की भूमि स्थित है। किन्तु प्रतिवादीगण झगडालू प्रकृति के है तथा उक्त चाह पर कब्जा करना चाह रहे है, ऐसी स्थिति में उन्होंने दावा पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय ने स्वीकार करडिक्री किया। किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना अपना निर्णय पारित किया है तथा उक्त विवादित भूमि चाह खसरा नं0 864 हाल खसरा नं0 1020 को अपीलार्थी के कब्जे में नहीं मानने में भारी भूल की एवं साथ में यह भी सलाह दी कि सिंचाई के लिए अपीलार्थी सिविल न्यायालय में इस्तदुआ कर सकते है। उक्त आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर दिया है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि अधीनस्थ अपील न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के विपरीत है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16-04-2004 निरस्त किया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21-02-2003 को बहाल रखा जावें।

5- योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि हमने खसरा नं0 856, 864 व 865 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया था तभी से सह काबिज होकर काश्त कर रहे है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 12-04-83 से अपीलार्थी 1 व 2 का कब्जा साबित है। पासबुक से हमारे रेकार्डव खातेदारी की पुष्टि होती है। खसरा नं0 864 गैर मु0 चाह को वादीगण अपनी खातेदारी की बताते है, लेकिन कोई भी राजस्व अभिलेख उनके पक्ष में नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि अपीलार्थीगण इस चाह पर अपना मालिकाना हक घोषित करवाना चाहते है, जिसका राजस्व न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। उनका यह भी भी तर्क था कि अपीलार्थी अपनी सिंचित बताते है तथा यह सुखाधिकार का प्रकरण है तो सुखाधिकार का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। चाह के पास वादीगण के

खेत होना गलत है, क्योंकि खसरा नं0 865 कुँए से लगता हुआ उसके खेत है तथा 856 उसकी खातेदार का है तथा अपीलार्थी का कुँए पर कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय उक्त अनुतोष प्रदान करने में सक्षम नहीं है। विचारण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय प्रदान किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त करने में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की। अतः द्वितीय अपील अस्वीकार की जावें।

6— हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विवादग्रस्त आराजी हाल खसरा नं0 1020 रकबा 0.05 हैक्टेयर वर्तमान में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण सं0 1,2 व 7 के नाम दर्ज है। इसके पुराने खसरा नं0 86 था। प्रथम पैमाईश के बाद बने नक्शे के अनसार विवादग्रस्त चाह खसरा नं0 864 के चारो ओर सटे हुए खसरानं0 860, 861, 863 व 848 थे। इनमे से खसरा नं0 861, 862वादीगण के पूर्वज रूड़ा की खातेदारी में दर्ज थे तथा खतौनी संवत् 2012 से 2031 तक के अनुसार इसी चाह से रूड़ा अपनी इस खातेदारी भूमि को सींचकर चाही का लगान चुकाता था। खसरा नं0 865 में से 3 बीघा 13 बिस्वा बारानी प्रथम की खातेदारी भंवरसिंह वगैरह के नाम थी। इसी खसरानं0 865 के संबंध में वादीगण ने वर्ष 1983 में तैयार एक नक्शा और प्रदर्शित किया है, जो प्रदर्श—2 है, जिसमें 865/1322 का अंकन किया हुआ है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पर निर्णय से पूर्व न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से दिनांक 22—04—83 को प्राप्त रिपोर्ट में अंकित नक्शे में भी खसरा नं0 865 के साथ 865/1322 भी दर्शाया गया है। नये भू प्रबंध के बाद 1979—80 में बने नक्शे में भी वादग्रस्त गैर मुमकीन चाह (खसरा नं0 1020) के दो तरफ सटे हुए खसरा नं0 1003 एवं 1019 वादीगण की खातेदारी भूमि है जबकि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0 1005, 1006, 1017, 1018 एवं 1036 वादग्रस्त चाह से काफी दूर है तथा किस्म बारानी है। यदि वादग्रस्त चाह पर प्रतिवादीगण का स्वामित्व होता तो उनकी खातेदारी भूमि में से कुछ न कुछ हिस्सों पर वे इस चाह से सिंचाई जरूरकरते। गत 50 वर्षो की खसरा गिरदावरियों तथा खतौनी में प्रतिवादीगण की भूमि सिंचित होने का कही उल्लेख नहीं है जबकि वादीगण की वादग्रस्त खसरा नं0 1020 चाह से सटी हुई भूमि पुराने खसरा नं0 860,

861 एवं 865/1322 तथा इनसे बने नये खसरा नं0 1003 व 1019 चाही अव्वल दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रदर्शित संवत् 2016 से 2031 की जमाबंदी के अनुसार वादी की भूमि खसरा न0 700 से सिंचित होती थी। परन्तु खसरा गिरदावरी जो प्रत्येक वर्ष की काश्त एवं सिंचाई के साधन प्रदर्शित करती थी, में वर्ष 2016 से 2019 व 2021 में वादीगण की भूमि खसरा नं0 860 व 861 में वादग्रस्त चाह से सिंचाई कर रबी की फसल ली गई है। संवत् 2012 से 2031 तक की पर्चा खतौनी में भी वादी की भूमि का सिंचाई का स्त्रांत खसरा नं0 864 की चाह था। यह सही है कि वादीण की कुछ भूमि खसरा नं0 700 की चाह से सिंचित होती थी परन्तु खसरा नं0 860 व 861 पर सिंचाई वादग्रस्त चाह से की जाती रही है। जबकि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि न तो वादग्रस्त चाह से सटी हुई है न ही सिंचित हुई है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की पुराने खसरा नं0 865/1322 के बारे में आपत्ति कि खसरा नं0 856/1322 को ही उलट कर 865/1322 बनाया गया है, को सिद्ध करने हेतु कोई दस्तावेज एवं सबूत पेश नहीं किए गए है। उन्होंने ऐसा कोई नक्शा पेश नहीं किया है, जिसमें खसरा नं0 856/1322 प्रदर्शित किया गया हो। वादी की खातेदारी भूमि में अंकित खसरा नं0 856/1320, 856/1321 के क्रम को आगे बढ़ाते हुए 856/1322 कको जमाबंदी संवत् 2016 से 2031 में वादी के पूर्व रूड़ा की खातेदारी में दिखाया गया है परन्तु खतौनी बंदोबस्त सवंत् 2012 में इसी खाते में उक्त प्रथम दोनों खसरों को बारानी अंकित कर खसरा नं0 865/1322 रकबा 19 बिस्वा को अन्य सिंचित भूमि के साथ चाही दर्शाया गया है। संवत् 2012 से 2031 की खतौनी के अलावा 1983 के नक्शे तथा वर्तमान नक्शे के खसरा नं0 1019 भी इस तथ्य की पुष्टि करते है कि खसरा नं0 865 में से वादग्रस्त चाह से सटी हुई भूमि के खसरा नं0 865/1322 की थी, जो इसी चाह से सिंचित होती थी तथा वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी में रही है। उक्त से स्पष्ट है कि वादीगण ने जागीरदारी के हक से ही वादग्रस्त चाह से अपनी भूमि की सिंचाई कर उक्त चाह पर टीनेंट की हैसियत प्राप्त की है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा इस चाह का उपयोग कृषि प्रयोजन में नहीं किया गया है, अतः उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी द्वारा वादीगण को उक्त चाह का खातेदार काश्तकार विधिसम्मत रूप से घोषित किगया गया है।

8- विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 16-04-2004 में अंकित किया है कि रेस्पोडेंट

का केवल मात्र इतना ही हक बनता है कि वह इस खसरा नंबर की चाह से अपने खतो की सिंचाई करता था जो सुखाधिकार की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस पर कोई विवेचन किए बिना अपना निष्कर्ष दिया जो समुचित नहीं कहा जा सकता है। अधिक से अधिक रेस्पोडेंट वादी से अपने खसरा नंबर को सिंचाई करने का अधिकार इस चाह से हो सकता है, जिसका क्षैत्राधिकार भी राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। प्रत्यर्थी का कब्जा भी सिद्ध नहीं होता है। केवल मात्र सिंचाई करना राजस्व रिकार्ड से साबित होता है। सेलडीड के अनुसार उक्त चाह पूर्व खातेदार द्वारा अपीलार्थी को बेचान किया गया है और प्रत्यर्थी द्वारा सेलडीड को चुनौति नहीं दी गई।

9- विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त निर्णय में अंकित उक्त निष्कर्षो के संबंध में विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। तनकी सं 1 पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचन किया गया है, जिससे भी विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 1020 गैर मु0 चाह वादी की भूमियों से सटा हुआ होकर वादी के कब्जे काश्त में होकर वादी की खातेदारी का ही सिद्ध होता है।

10- विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है जबकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रत्येक तनकी परविस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया गया है।

11- उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील स्वीकार योग्य होने से अपील स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-04-2004 निरस्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 21-02-2003 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित) सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) सदस्य